श्री आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक-08.10.2013 को आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आहूत एवं सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

कार्यवाही

उपस्थिति :-पंजी अनुसार।

दिनांक 8.10.2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ससमय आरम्भ हुई। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, को तकनीकी कार्य विभागों के द्वारा संपादित कार्यो की समीक्षा का निदेश दिया गया। विभिन्न कार्यालयों से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अधोलिखित बातें उद्घाटित हुयीं :-

- प्रखंड बहादुरगंज अंर्तगत अतिरिक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र दुर्गापुर, बनगामा, दहीभात, निशिन्द्रा के भवन निर्माण कार्य के कम में समीक्षोपरान्त पाया गया कि दहीभात स्वास्थ्य उप-केन्द्र का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं, जिसका उद्घाटन दिनांक 15.10.13 तक किया जायेगा। स्वास्थ्य उप-केन्द्र निशन्द्रा के संबंध मे पृच्छा करने पर कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता ने बताया कि उन्हे इस संबंध में जानकारी नही हैं। सूचना दी गई कि किशनगंज उच्च विद्यालय में शौचालय भवन निर्माण का कार्य भी पूर्ण है, जिसका उद्घाटन दिनांक 15.10.2013 को किया जायेगा। यह भी बताया गया कि बहादुरगंज प्रखंडान्तर्गत झिंगाकाटा कुरहेला के भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। मदरसा भवन पलासमनी बहादुरगंज का निर्माण कार्य भी पूर्ण है, जिसका उद्घाटन दिनांक 15.10.2013 को किया जायेगा। मदरसा भवन चंद्रवार, बहादुरगंज का निर्माण कार्य कल तक पूर्ण हो जायेगा, बहादुरगंज का कार्य राशि के अभाव में बन्द है। 30लाख 11हजार राशि दी गई है। इसकी जॉचकर निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया।
- पाया गया कि प्रखंड कोचाधामन अंर्तगत उच्च विधालय कारकुन लाल भवन में छत ढलाई का कार्य होना हैं। उत्कमित मध्य विद्यालय, धनपुरा का कार्य अभी बंद है, जिसकी जॉच कर अग्रेतर शेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया। उत्कमित मध्य विधालय, महलवारी का भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। उत्कमित मध्य विधालय, सुकराना का छत ढलाई हो गया है। उत्कमित मध्य विधालय, तुफेलगंज में एक कमरे का वर्ग कक्ष निर्माण में कार्य राशि के अभाव में बन्द है। इसकी जॉच कर शेष कार्यो के लिए अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। उत्कमित मध्य विद्यालय, अंधासुर में एक कमरे की वर्ग कक्षा का प्लास्टर कार्य पूर्ण हुआ हैं। उत्कमित मध्य विधालय, गौरामनी का कार्य पूर्ण हैं।
- सूचना दी गई कि प्रखंड कोचाधामन अंर्तगत मदरसा, कुम्हिया की छत ढलाई 31.10 13 तक पूर्ण हो जायेगा। दल्लेगॉव, पंचायत भवन का कार्य चल रहा है जो 15.11.2013 तक पूर्ण हो जायेगा।
- बताया गया कि टेढागाछ प्रखंड अंर्तगत उप स्वास्थ्य उप केन्द्र का कार्य एजेंसी द्वारा 15.11.2013 पूर्ण करा लेगें। उप विकास आयुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य उप केन्द्र खनियाबाद / चिल्हनिया/ गम्हरिया का कार्य अधूरा है, जिसे 15.11.2013 तक हर हाल में पूर्ण करने का निदेश दिया गया। टेढागाछ प्रखंड अंर्तगत सभी निर्माणधीन भवन निर्माण योजनाओं को दशहरा योजना के बाद पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण किशनगंज को 15 दनों के अंदर पूर्णता प्रतिवेदन पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ भेजने हेतु उन्हे निदेश दिया गया।

- भवन निर्माण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर उनके जिम्में कुल 122 योजनाएँ हैं। निर्माण कार्यो की प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा कम में अधिकांश योजनाएँ अधूरी पायी गयीं।
- कोचाधामन प्रखंडान्तर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्र मजकूरी का finishing कार्य प्रगति पर था, जो यथावत स्थिति में हैं। बताया गया कि कोचाधामन प्रखंडान्तर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्र पुरन्दाहा का प्लास्टर कार्य 31.10.13 तक पूर्ण हो जायेगा। कोचाधामन प्रखंड के ग्राम पंचायत कालामाठा की कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य पूर्ण है, इस बात की सूचना दी गयी।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, किशनगंज के द्वारा संचालित दो प्रकार की योजना पेयजल निर्माण योजना और सिचाई योजना की समीक्षा की गई। सिचाई योजना कुल 60 में 40 पूर्ण बतायी गयी, जबकि चापाकल 999 में 127 पूर्ण बताया गया। बताया गया कि वर्ष 2013-14 में 29 योजनाएँ ली गई हैं, जिनमें 27 पूर्ण एवं 2 अपूर्ण हैं। बताया गया कि लौहयुक्त चापाकल निर्माण योजना अर्न्तगत कुल 76 में 21 चापाकल लगाये गये हैं।
- NRDW योजनान्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र में 10 चापाकल लगाने थे, जो लग चुके हैं। इसी योजनान्तर्गत स्कूल में 41 लगाने थे, जो अब तक लंबित हैं। sustainable चापाकल 239 में कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। state plan अंर्तगत प्रति ग्राम पंचायत में माननीय विधायको द्वारा 126X5 -830 चापाकल लगाना था, जिसमें से 190 चापाकल लगाये गये हैं।
- शहरी जलापूर्ति योजनान्तर्गत कुल 7-7 योजनाएँ नगर बहादुरगंज /ठाकुरगंज क्षेत्रान्तर्गत लगाने की योजना थी, जिसमें से कमशः 6-6 योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। सभी में जलापूर्ति निरंतर हो रहा है।
- WSAP योजनान्तर्गत जलापूर्ति ठाकुरगंज में चालू है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि इसका घरेलु उपयोग नही हो रहा है। पोठिया मे योजना तैयार कर ली गई है, लेकिन आपरेटर के कारण जलापूर्ति बन्द अर्थात् House pipe नही लगाया गया है। दिघलबैंक में पानी आपूर्ति चालू है, लेकिन बिजली का तार टूटने के कारण अभी बंद है। टेढागाछ में कार्य रूका हुआ हैं। इस संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा योजना को चालू कराने हेतु पंचायत में Awareness programme के आयोजन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया।
- राजकीय नलकूप योजना अर्न्तगत योजना की समीक्षा की गई। कोचाधामन / तुलसिया /सोन्था में नलकूप बन्द होने की सूचना दी गयी।

1. राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यकम :-

जिला पदाधिकारी के निदेश पर अपर समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यकम कार्यो की समीक्षा की गई आरंम्भ की गई।

- अपर समाहर्त्ता ने भू -राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कार्य /कम्पाईलेशन के कार्य को समय पर पूर्ण कर लिये जाने का आदेश दिया। किसी भी स्तर से शिथिलता नहीं बरते जाने का आदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी अंचलाधिकारी / वरीय प्रभारी पदाधिकारी)

- अपर समाहर्त्ता ने कहा कि पिछली बैठक में ही यह लक्ष्य तय कर लिया गया था कि सितम्बर माह 30 प्रतिशत भू -राजस्व वसूली का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा, किन्तु इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नही की हुई हैं। इस बिन्दु पर समाहर्त्ता द्वारा भी खेद व्यक्त किया गया। अपर समाहर्त्ता ने इस बात पर पुनः आदेश दिया कि सभी अंचल अधिकारी योजनाबद्व तरीके से बडे बकायादारों की सूची तैयार करें, चेतावनी पत्र निर्गत करें, आवश्यकता अनुसार निलाम पत्र तैयार करें। यदि किसी भी स्तर पर शिथिलता बरती जायेगी, तो संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी के विरूद्व कार्यो में शिथिलता बरतने के आधार पर उनके विरूद्व कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालनः सभी अंचलाधिकारी)

- सभी अंचलाधिकारियों को इस बात का निदेश दिया गया कि जिन बंदोबस्त सैरातो में बकाया राशि उसकी वसूली हेतु ससमय कार्रवाई करें। प्रमादी बन्दोबस्तदारों से राशि वसूली की कार्रवाई स्थापित नियम प्रक्रिया के तहत किये जाने का निदेश दिया गया। (अनुपालनः सभी अंचलाधिकारी)
- अपर समाहर्त्ता द्वारा द्वितीय फेज के सर्वेक्षण के दौरान पाये गये सभी वासरहित परिवारों को शतप्रतिशत मामले में देय एवं अनुमान्य विभिन्न श्रेणियों की भूमि नियमानुसार उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी अंचलाधिकारी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, किशनगंज)

- अपर समाहर्त्ता द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि RTPS अंर्तगत दाखिल खारिज के दायर, निष्पादित एवं लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा सभी अंचलाधिकारी नियमित रूप से किया करें। अभिलेखों के संधारण एवं रख-रखाव ठीक से किये जायें। कई बार ऐसा पाया गया है कि सकारण एवं तार्किक आदेश के बगैर ऐसे दाखिल खारिज मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है, जो सही नहीं है।

(अनुपालनः सभी अंचलाधिकारी)

- अपर समाहर्त्ता द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि हर अंचल में विभिन्न श्रेणियों के जमीन के बंदोबस्तधारियों के मामले में जाँच कर बेदखली संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करावें। (अनुपालनः सभी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज)

2.नीलाम पत्र संबंधी विषय :-

- नीलाम पत्र विषय की समीक्षा की गयी। स्थिति लगभग यथावत् पायी गयी। सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सभी अभिलेखों को अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगें। पुनः निदेशित किया गया कि लंबित वादों में नये सिरे से नोटिस एवं वारंट निर्गत कर तामिला चौकीदार के माध्यम से करायेंगे। बैंक से संबंधित हो, तो संबंधित बैंकों को प्राप्त कराकर तामिला प्रतिवेदन प्राप्त कर तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में लगावें। तामिला प्रतिवेदन लग जाने के बाद आपत्ति आदि है, तो सुनवाई करेंगे। अगर आपत्ति नहीं प्राप्त हुयी है, तो विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी)

3.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-

- पेंशन योजना की समीक्षा की गई एवं समस्त कार्य ससमय नियमानुसार पूर्ण करने का आदेश दिया गया। आज की बैठक में भी सभी प्रखंडो में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन वितरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के कम में सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि पेंशन वितरण संबंधी कार्यो को कैम्प आयोजन कर राशि का वितरण करायेंगे, एवं कैम्प समाप्ति के पश्चात् अपर समाहर्त्ता, जिला राजस्व द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(अनुपालनः सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / वरीय प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा / अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

4.कबीर अंत्येष्टि योजना :-

- कबीर अंत्येष्टि योजना की समीक्षा की गई एवं समस्त कार्य ससमय नियमानुसार पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

- आज की बैठक में कबीर अंत्येष्टि की राशि की समीक्षा के कम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रखंड स्तर पर समीक्षा कर इस कार्यक्रम के तहत सभी वैसे मृतकों को लाभ उपलब्ध कराने हेतु अपने-अपने स्तर से पंचायत सचिव एवं संबंधितों को निदेश देंगे तथा विधिवत राशि मुहैया कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें। राशि व्यय होने की स्थिति में उसका अभिश्रव / उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / वरीय प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा / अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

5. आई.सी.डी.एस - कन्या विवाह योजना :-

➤ इस योजनान्तर्गत भी ससमय कार्य पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालनः सभी प्र0वि0पदा0/, कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.)

6. आर.टी.पी.एस. :-

➤ आर.टी.पी.एस. अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत इस बैठक के दौरान भी निदेशित किया गया कि सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत लंबित मामलों पर नजर रखेंगे। लंबित मामले पाये जाने पर इसे तुरंत निष्पादन करने हेतु विशेष ध्यान देंगे। वे इन काउंटरों पर औचक छापामारी भी करें, तथा संदिग्ध व्यक्ति / दलाल की पहचान कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी करें।

(अनुपालनः सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी .)

7. एम.एस.डी.पी. / मुख्यमंत्री जिला विकास योजना

➤ कोचाधामन प्रखण्डार्तगत MSDP योजनान्तर्गत प्रतिवेदनानुसार कुल 61 ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु युनिट की स्वीकृति दी गई है जिन योजनाओं में प्रतिवेदनानुसार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उसमें सन्निहित राशि 2 करोड़ 24 लाख 72 हजार है इसके विरूद्ध 1 करोड़ 99 लाख राशि विमुक्त की गई है विमुक्त राशि के विरूद्ध 90 लाख 50 हजार व्यय किया गया है। बताया गया कि राशि के अभाव में कार्य नहीं हुआ है। उप विकास आयुक्त द्वारा राशि का माँग पत्र भेजने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 61 योजना में ICDS की 2 योजनाएँ भी शामिल हैं।

➤ प्रखंड कोचाधामन अंतर्गत मुख्यमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत 53 योजनाओं में से 28 पूर्ण है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि 13 योजनाएँ ऐसी हैं, जिनमें काफी अंतर है, जिसकी जॉचकर सही प्रतिवेदन भेजने हेतु संबंधित तकनीकी कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

➤ ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत 219 ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन स्वीकृत है। प्रशासनिक स्वीकृति 6 करोड़ 45 हजार 32 लाख राशि दी गई है। समीक्षा के कम मे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,आई. सी.डी.एस. द्वारा बताया गया कि ICDS के द्वारा 57 का कार्य पूर्ण प्रतिवेदित किया गया है, जबकि MSDP के ऑकडो के अनुसार 89 केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण बताया जा रहा है। इस प्रकार दोनों प्रतिवेदन में विरोधाभास है तथा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस शीर्ष से कितनी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। ठाकुरगंज प्रखंड में इस विषय के तहत लिये गये ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी ।

इसमें अलग-अलग शीर्ष के तहत दी गयी स्वीकृति,विमुक्त राशि एवं कराये गये कार्य के अनुरूप दर्ज मापी के आलोक में इनकी स्थलीय गहन जॉच की आवश्यकता के निमित्त कार्रवाई करने का निदेश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया। इसके लिए अलग से जॉच दलो का गठन कर जॉच अभियान चलाने का अनुरोध जिला पदाधिकारी से किया गया।

➤ पोठिया प्रखण्डार्तगत MSDP की कुल 83 ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण में कुल 40 का कार्य पूर्ण है। 31 में विभिन्न स्तर पर कार्य प्रगति पर है, इसमें राशि की आवश्यकता के मद्देनजर माँग पत्र भेजने का निदेश दिया गया।12 योजनाएँ भूमि के अभाव में बन्द है ,जिसके लिए उप विकास आयुक्त द्वारा भूमि दानस्वरूप देने हेतु जागरूकता अभियान चलाने के आवश्यकता के

मद्देनजर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी लोगो को भूमि दान देने हेतु प्रोत्साहित करें तथा विकास सह राजस्व गोष्ठी में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करें।

- **प्रखंड बहादुरगंज अंर्तगत** :-इस प्रखंडान्तर्गत मुख्यमंत्री जिला विकास योजना एवं MSDP दोनों मिलाकर 72 योजनाएँ ली गई है। MSDP के 51 में से 39 का कार्य पूर्ण है शेष 12 अपूर्ण है तथा मुख्यमंत्री जिला विकास योजना की कुल 9 योजना में भवन निर्माण कार्य, भूमि की अनुपलब्धता के कारणवश बन्द हैं। विकास सह राजस्व गोष्ठी में भूमि उपलब्ध करोन के निमित्त प्रशासनिक कार्रवाई के अनुरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के द्वारा अनुपालन नहीं किए जाना अत्यंत खेदपूर्ण है। स्पष्ट रूप से दोनो पदाधिकारी जिले के निदेश के अनुपालन में रूचि सहित कार्य नहीं कर रहे है।

अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि सातो प्रखंड में आहूत विकास-सह-राजस्व गोष्ठी में लिये गये निर्णय के अनुरूप विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निमित्त लिये गये निर्णय का अनुपालन सभी अंचल पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के साथ विशेष बैठक कर इसकी समीक्षा कर ली जाय। यह भी अनुरोध किया गया कि दान तथा अन्य श्रोत से प्राप्त भूमि का आवश्यकतानुसार निबंधन,तत्पश्चात् इनके नाम से जमाबंदी कायम करते हुए पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय ताकि योजना प्रारंभ करने के निमित्त आदेश निर्गत किया जा सके।

- **प्रखंड किशनगंज अर्न्तगत** मुख्यमंत्री जिला विकास योजना 35 योजनाएँ ली गई है। उप विकास आयुक्त ने कहा वर्ष 2007 से अब तक मात्र 20 योजनाएँ पूर्ण प्रतिवेदित किया जाना काफी चिन्ता का विषय है। यदि राशि की आवश्यकता है, तो मांग पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
- अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज द्वारा भी MSDP अंतर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र, विधालयों में एक अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण एवं इंदिरा आवास के निर्माण कार्य के प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के कम में उन्होने कहा कि वे निरीक्षण के दौरान कराये गये कार्य की भौतिक स्थिति में I.C.D.S तथा B.D.O'S के प्रतिवेदन मे काफी अंतर पाये गये, जिससे यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि योजनाओं की वास्तविक संख्या क्या है ? साथ ही किनके द्वारा कितनी योजनाओं का कार्य किया गया तथा विमुक्त की गई राशि के अनुसार कितने का कार्य हुआ, इसके सही ऑकडे एवं भौतिक/ वित्तीय उपलब्धि के सही प्रतिवेदन के लिए एक प्रपत्र उनके द्वारा तैयार किया गया हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उक्त प्रपत्र अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर उसके अनुसार MSDP अंर्तगत ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों, विद्यालयों में एक अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण एवं इंदिरा आवास का निर्माण संबंधी प्रतिवेदन प्रपत्र में भर कर एक सप्ताह के अंदर देने का निदेश दिया गया। प्रपत्र में निरीक्षण के समय भौतिक तौर पर कार्यन्वित योजना का छायाचित्र लगाने और स्थल और योजना के विवरण, योजना पर व्यय का मद आदि को यथाविनिर्दिष्ट कॉलम में भरने का निदेश भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
- दिघलबैंक प्रखंड अंर्तगत MSDP अंर्तगत 24 योजना में 3 अपूर्ण तथा एक भूमि के अभाव में अपूर्ण है। शेष सभी योजनाएँ पूर्ण हो गयी हैं। साथ ही बताया गया कि (1) ऑगनबाड़ी केन्द्र मालाटोला (2) जिया पोखर (3)फतेहपुर (4) तलवार बन्धा में जमीन उपलब्ध नही है, लेकिन प्रतिवेदन में कार्य पूर्ण दिखाया गया है, जिसका जॉचकर सही प्रतिवेदन देने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक को निदेशित किया गया इसके अतिरिक्त 7 ऐसी योजनाएँ है, जिसमें छत ढलाई कार्य पूर्ण बताया गया, और इसी 7 योजना में से 2 ऑगनबाड़ी I.C.D.S द्वारा पूर्ण बताया गया,

जो विरोधाभासी है। MSDP अंतर्गत योजना के कमांक 6 एवं 9 में राशि गलत दर्शायी गयी है, जिसका जाँच कर लेना आवश्यक जताया गया।

- जिला पदाधिकारी ने तकनीकी विभागों की कार्य विवरणी की समीक्षा की, तदोपरान्त उन्होंनें भू- राजस्व एवं अन्य विषयों की समीक्षा की।

जिला पदाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं / मदों से बनाये गये एवं बनाये जा रहे आँगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण कार्य की समीक्षा की। पाया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र एम.एस.डी.पी. योजनामद, 13वॉं वित्त आयोग मद, सीमा क्षेत्र विकास योजना मद आदि से निर्मित किये जा रहे हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के संदर्भ में इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट नही होने से जिला पदाधिकारी द्वारा चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने इस बात की आवश्यकता बताई कि यदि शीघ्र एक पखवारे के भीतर विभिन्न मदों से बनाये जा रहे आँगनबाड़ी केन्द्रों की पहचान / समीक्षा नहीं की जाती है, तो इस विषय पर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस बात की पूर्ण समीक्षा करा लेने आवश्यक है कि ठाकुरगंज प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों में स्वीकृत इकाई से अधिक आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति तो नही हो गई ? यदि ऐसा है तो इस विषय पर शीघ्र जॉंच / समीक्षोपरान्त आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे। किसी भी स्थिति में इस विषय को अविवेचित नही छोड़ा जा सकता है। अगली बैठक तक स्थिति स्पष्ट कर लिये जाने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यहित में यह भी आदेश दिया गया कि सभी शीर्ष की योजनाओं की मापी करने के लिए अथवा प्राक्कलन आदि तैयार कराने तथा अन्य तकनीकी कार्यो के लिए मनरेगा अभियंताओं की सेवाएँ भी ली जा सकती है।

सभी प्रखंडों में विभिन्न शीर्ष से करायी गयी / निर्माणाधीन विभिन्न योजना यथा- इंदिरा आवास/आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय/स्वास्थ्य उप केन्द्र आदि की गहन जाँच हेतु उप विकास आयुक्त द्वारा दिये गये परामर्श को संपुष्ट करते हुए तदनुसार कार्रवाई के निमित्त प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य तकनीकी कार्य एजेंसी को भी कार्य अधूरी पड़ी विभिन्न योजनाओं के निरंतर भौतिक सत्यापन अपने कार्यबल से कराते रहना चाहिए।

(अनुपालन : सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी /एम.एस.डी.पी. /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /वरीय प्रभारी पदाधिकारी)

8. आपदा प्रबंधन :-

- आपदा प्रबंधन विषय पर समीक्षा की गई। पाया गया कि कई अंचलो से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है प्रतिवेदन शीघ्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी /सभी अंचल अधिकारी)

9. समाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना :-

- एस.ई.सी.सी.(समाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011) की समीक्षा के कम में बताया गया कि अगले चरण का कार्य प्रगति पर है।बताया गया कि यह कार्यकम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि D फाइल बहुत जल्द अंतिम तौर पर उपलब्ध हो जायेगा, जिसके आलोक में प्रारूप प्रकाशन उपरान्त दावा आपत्ति प्राप्त करने / निष्पादित करने का कार्य समय सीमा के भीतर करने होंगे।

(अनुपालन :निदेशक लेखाप्रशासन एवं स्वनियोजन डी.आर.डी.ए/ निदेशक,एन.ई.पी. प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

10. इंदिरा आवास योजना :-

- उप विकास आयुक्त किशनगंज ने बताया कि प्रखण्ड किशनगंज अन्तर्गत पोठिया अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति की 40 इंदिरा आवास योजना इस प्रखंड के भूमि के अभाव में पड़ी हुई है, जिसे दूसरे प्रखंड में हस्तांतरित किया जाना है। अतएव इस हेतु जिन प्रखंड में इस कार्य हेतु भूमि है, उनसे इसका प्रस्ताव बनाकर भेजने का निदेश दिया गया।

- उप विकास आयुक्त, किशनगंज द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास के निर्माण हेतु राशि MSDP, एवं सामान्य इंदिरा आवास योजना से उपलब्ध करायी जाती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि एक ही लाभुक MSDP, सामान्य एवं विशेष पैकेज के तहत इंदिरा आवास योजना से क्षेत्रीयकर्मी की मिली भगत से दो या दो से अधिक इंदिरा आवास इकाई भिन्न-भिन्न नामो से प्राप्त कर लें। अतः लाभुको के चयन एवं राशि राशि उपलब्ध कराने से पूर्व भलीभांति जॉच कर संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि जिस शीर्ष से इंदिरा आवास की इकाई हेतु लाभुक चयनित है, उन्हें उसी शीर्ष से यह इकाई प्राप्त हो रही है। ।

(अनुपालन : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

- अवशेष इंदिरा आवास के अनुसार लाभान्वितों का चयन एवं MIS के माध्यम से स्वीकृति एवं Fund Transfer की प्रकिया पूर्ण कर पासबुक का वितरण कराने का निदेश दिया गया है।

IAY, Status of Data Entry for Financial year 2013-14

Sl. no	Block	Target of FY 13-14	Registered in MIS	Sanctioned	Order sheet Generated	Ist Instalment Releasd
1	Kishanganj	1189	1162	1156	1149	1149
2	Kochadamn	2524	2954	2954	2524	2524
3	Bahadurganj	1905	2232	2232	1905	1905
4	Thakurganj	2190	2190	2190	2190	2190
5	Pothia	2204	2675	2125	2103	2103
6	Digalbank	1692	2152	1694	1694	1694
7	Tedhagach	1201	1709	1060	1003	1003
	Total	12905	15074	13411	12568	12568

- इंदिरा आवास के जनशिकायत से संबंधित जॉच प्रतिवेदन अविलंब देने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालनः उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्र0वि0पदा0, किशनगंज- जिला)

11. 13 वॉ वित्त आयोग/बी.आर. जी.एफ./चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

- उप विकास आयुक्त ने बताया कि MSDP /13वीं एवं चतुर्थ वित्त आयोग /BRGFएवं I.C.D.S अंर्तगत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दी गई सभी योजनाओं की जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल यथा निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, निदेशक एन.ई.पी. वरीय उप समाहर्त्ता की टीम गठित की जा रही है, जिसका आदेश निर्गत किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं D.P.O.,I.C.D.S को उक्त प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर शीर्षवार (बी.आर. जी.एफ./13वॉ/चतुर्थ)तथा आंगनबाड़ी केन्द्र की अलग-अलग प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजने हेतु निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस आशय के प्रतिवेदन से योजनाओं की भौतिक एवं वित्तिय स्थिति की सरलता से जानकारी मिल पायेगी। उप विकास आयुक्त द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि दिनांक 25.10.13 को आयुक्त महोदय पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की समीक्षात्मक बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लेना है इसलिए उक्त योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 21.10.2013 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज में जमा कर दे ताकि समेकित प्रतिवेदन के साथ दिनांक 25.10.13 को आयुक्त महोदय की बैठक में प्रतिवेदन के साथ भाग लिया जा सके। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अधूरे कार्यो को एक सप्ताह के अंदर पूरा कर ले और जो राशि उन्हें योजना के लिए विमुक्त की गई है, उसका

उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। ग्राम पंचायत की योजनाओं का पंचायत सचिव से प्रतिवेदन प्राप्त कर भेज देंगें। यही अनुपालन कार्यपालक पदाधिकारी,नगर निकाय (किशनगंज/बहादुरगंज / ठाकुरगंज) के द्वारा भी किये जाने का निदेश दिया गया।

BRGF अंतर्गत :- निदेशक एन.ई.पी. ने बताया कि नगर पंचायत , ठाकुरगंज को 25 लाख, नगर पंचायत ,बहादुरगंज को 43 लाख 95 हजार तथा नगर परिषद किशनगंज को 2,44,08,176 (2 करोड 44 लाख 8 हजार 1सौ 76)रू.योजना अंतर्गत दिये गये है , जिसके विरूद्व खर्च शून्य प्रतिवेदित है, जो एक गंभीर विषय है।उक्त विभागीय पदाधिकारी -सह -कार्य एजेंसी को राशि खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के अंदर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज कार्यालय में भेज देने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन- सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदा0/कार्यपालक पदाधिकारी,नगर निकाय-किशनगंज/बहादुरगंज/ठाकुरगंज, / सभी प्र0वि0 पदा0)

12. **कब्रिस्तान की घेराबंदी (एम.एस.डी.पी आदि मद से)**

- कब्रिस्तान की घेराबंदी का अद्यतन प्रतिवेदन देने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन: सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

13. **जिला कल्याण :-**

- जिला कल्याण छात्रवृति की समीक्षा के कम में श्री मनोवर अंजूम, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आशवस्त किया गया कि वितरण संबंधी सभी कार्रवाई पूरा कर ली जायेगी । समीक्षोपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रखंडवार/विद्यालयवार चेक वितरण संबंधी प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

14. **CWJC/MJC:-**

- माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों के ससमय अचूक कार्रवाई की जाने का आदेश दिया।
- इन विषयों की समीक्षा प्रतिवेदनाभाव में नही की जा सकी। अगली बैठक में सभी पदाधिकारी इनसे संबंधित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगें।

(अनुपालनः सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी , जिला विधि शाखा , जिला सामान्य शाखा / संबंधित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

15. **लोकायुक्त/ सूचना के अधिकार / मानवाधिकार / विधान सभा/ विधान परिषदः**

- सूचना के अधिकार में 30 दिनों के अंदर जो सूचना उपलब्ध है, उसे आवेदको को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- इन विषयों की विस्तृत समीक्षा प्रतिवेदनाभाव में नही की जा सकी । अगली बैठक में सभी पदाधिकारी इनसे संबंधित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होगें।

16. **मुख्य मंत्री जनता दरबार/ आयुक्त स्तरीय :-**

- मुख्यमंत्री एवं आयुक्त स्तर से प्राप्त आवेदन को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ ही अनुपालन हेतु लंबित विषयों को भी अनुपालित करने का निदेश दिया गया।
- सभी कार्यालय में जन शिकायत की पंजी संधारित करने एवं एक अतिरिक्त मास्टर पंजी संधारित करने का निदेश भी सभी विभागीय पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालनः सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी , जिला जन शिकायत कोषांग / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

17. **सेवांत लाभ :-**

- सेवांत लाभ से संबंधित मामलो को अविलंब निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला स्थापन उप समाहर्त्ता शाखा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

18. **निरीक्षण :-**

- इंदिरा आवास / पी.डी.एस. / आई.सी.डी.एस. /पी.एच.सी. / विद्यालय कस्तूरबा गॉधी कन्या विद्यालय का औचक निरीक्षण करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
- समीक्षा के कम मे पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बहुत कम संख्या मे निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण की संख्या मे बढोतरी करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
- अंचलाधिकारियों को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण का निदेश दिया गया।

19. **अन्यान्य :-**

- ए.सी. / डी.सी. विपत्र का विषय निरंतर मॉनिटर करते रहने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/-
(आदित्य कुमार दास)
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक ..2052....... / डी.आर.डी.ए, दिनांक...30.10.2013

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारियों /सभी कार्यपालक पदाधिकारी,नगर निकाय-किशनगंज,बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - उप विकास आयुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।